



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, 2021

कार्तिक 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 2096(1)/52-2-2021-2(255)-03-टी०सी०

लखनऊ, 18 नवम्बर, 2021

विज्ञप्ति

प०आ०-377

चूँकि राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या 1890/52-2-2021-2(255)-03 टी०सी०, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है;

अतएव, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को आहूत उक्त सदस्यों के अधिवेशन में श्री अली जैदी, उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के अध्यक्ष पद पर सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये गये।

आज्ञा से,  
हिमांशु कुमार  
प्रमुख सचिव।